न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 157 / 2017

रामपाल पुत्र जग्गा उम्र 62 वर्ष जाति कुमावत ग्राम नयागॉव कुमावतों का तहसील केकड़ी जिला अजमेर। —प्रार्थी

बनाम

रामदयाल पुत्र श्री जग्गा उम्र 65 वर्ष जाति कुमावत ग्राम नयागॉव कुमावतों का तहसील केकड़ी जिला अजमेर —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)

उपस्थितः— श्री आसिफ हुसैन वकील— प्रार्थी
कोई हाज़िर नही (एक्सपार्टी)—अप्रार्थी

## निर्णय

दिनांक 11 .09.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा धारा 251 क की उपधारा (1) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि नयागॉव की जमाबंदी संवत् 2072—75 के खाता संख्या नया—पुराना 241—233 मे दर्ज आराजी खसरा नम्बर 391 रकबा 0.23 चाही 1 खसरा नम्बर 392 रकबा 0. 23 किस्म चाही 1 पक्षकारान् के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। खसरा नम्बर 392 मे पहुंच के प्रयोजन से खसरा नम्बर 391 मे से नया मार्ग खुलवाया जाने का निवेदन क़िया है। प्रकरण श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया । अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिली उपस्थित नहीं हुआ इसके कारण उसके खिलाफ दिनांक 23.10.2017 को एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी के अभिभाषक ने फर्द जमाबंदी नकल प्रस्तुत की है जिसमे दर्ज नामा0 संख्या 870 दिनां 25.10.18 डिकरी बंटवारा आदेश से नवीन इन्द्राज अनुसार खसरा नम्बर 391 प्रतिवादी के हिस्से मे तथा 392 प्रार्थी के हिस्से मे दर्ज हुआ है। प्रार्थी के लायक वकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रार्थी को खसरा नंबर 392 मे आने जाने हेतु खसरा नम्बर 391 मे से रास्ता दिलवाया जावे। रास्ते का रकबा 0. 02 है0 प्रर्याप्त है,जो 10फुट चौड़ा व 200फुट लम्बा होना चाहिए। रास्ते के बदले मे डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि प्रार्थी,अप्रार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए सहमत है। अप्रार्थी गैर हाजिर है तथा उसके खिलाफ पूर्व मे ही एक्सपार्टी की जा चुकी है। मैने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अतः ग्राम नयागॉव की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या नया–पुराना 241–233 मे दर्ज आराजी खसरा नम्बर 391 रकबा 0.23 है0चाही 1 मे से होकर खसरा नम्बर 392 मे आने जाने हेतु तहसीलदार केकड़ी की मौका रिपोर्ट मे लाल स्याही से चिन्हित 0.02 है0 भूमि 10 फुट चौड़ा व 200फुट लम्बा क्षैत्र सार्वजनिक रास्ता के रूप मे दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार केकड़ी खसरा नंबर 391 रकबा 0.23 है0 मे से लाल स्याही से चिन्हित 0.02 है0 भूमि 10 फुट चौड़ा व 200फुट लम्बा क्षैत्र सार्वजनिक रास्ता को सार्वजनिक रास्ते के रूप मे दर्ज करे,मौके पर रास्ता खुलासा करवाया जावे, तथा इसके बदले मे प्रचलित डी0एल0सी0 दर अनुसर 0.02 है0 की राशि की दुगनी राशि प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी को भुगतान करे। तहसीलदार केकड़ी राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज व मुआवजा भुगतान करने की कार्यवाही करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया।

11.9.19.

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2019.12.02 12:10:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: